भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2366
09 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल उद्योग को उच्च राजस्व हानि

2366. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:
श्री रघु राम कृष्ण राजू:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में ऑटोमोबाइल उद्योग को हुई उच्च राजस्व हानियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऑल इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से देश में कोविड-19 के व्यापक प्रसार के आलोक में उन्हें राहत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके अस्तित्व के लिए मांगी गई रियायतों और छूटों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : पिछले कुछ महीनों में ऑटोमोबाइल उद्योग के कुछ सेगमेंटों की बिक्री में सुधार हुआ है। ब्यौरा निम्नानुसार है:

वाहनों की बिक्री

श्रेणी	वर्ष	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी
यात्री वाहन	2019-20	271,737	253,139	222,728	248,840
	2020-21	310,294	264, 898	252,998	276, 554
वाणिज्यिक वाहन	2019-20	195,211(अक्टूबर-दिसम्बर)			उपलब्ध नहीं
	2020-21	193, 034(अक्टूबर-दिसम्बर)			उपलब्ध नहीं
तिपहिया	2019-20	66,985	55,778	53,795	60,903
	2020-21	26,187	23,626	22,126	26,335
दुपहिया	2019-20	1,757,180	1,410,939	1,050,038	1,341,005
	2020-21	2,053,814	1,600,379	1,127,917	1,429,928

स्त्रोत: एसआईएएम

(ग) से (ङ) : जी हां, सहायता के लिए भारतीय ऑटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी (एसआईएएम) से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नीति-निर्माता के रूप में, सरकार उद्योग के व्यापक एवं निरंतर विकास के लिए उपायों के पैकेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने एवं इसमें सुधार के प्रयास करती है। हाल ही में, ऑटो क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:

I. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताएं बढाने के लिए 1,45,980 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ पाँच वर्षों की अवधि के लिए ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक क्षेत्रों सहित 10 विनिर्दिष्ट मुख्य क्षेत्रों हेतु उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम आरंभ करने के लिए दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को अपनी मंजूरी दी। ऑटोमोटिव उद्योग भारत में एक प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता है। पीएलआई स्कीम भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाएगी और भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर के वैश्वीकरण को बढ़ावा देगी।

II. पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध तरीक़े से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा।

III. वाहनों की थोक बिक्री और खुदरा व्यापार एवं मरम्मत को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र में लाया गया।

IV. बजट 2021-22 में, कुल 18,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सार्वजनिक परिवहन बस सेवा संवर्धन सहायता स्कीम।

*****